रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072020-220682
CG-DL-E-25072020-220682

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2149] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
No. 2149] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

**का.आ. 2436(अ).**—जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 3064 (अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन घोषित किया;

**और,** जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पत्र सं. ईएसजेड/37-III/4(9)/5064, तारीख 18 जुलाई, 2019 के द्वारा संशोधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया;

**और,** जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार का अनुरोध तथ्यात्मक रूप से सही है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 में, उप-पैराग्राफ (1) में,

(i) मद (i) में, "रीवा" शब्द के लिए, "जबलपुर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद (ii) में, "सिंगरौली" शब्द के लिए, "डिंडौरी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) मद (iii) में, "रीवा" शब्द के लिए, "जबलपुर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) मद (iv) में, "रीवा" शब्द के लिए, "जबलपुर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) मद (v) में, "सिंगरौली" शब्द के लिए, "डिंडौरी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) मद (vii) में, "सिंगरौली" शब्द के लिए, "डिंडौरी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) मद (viii) में, "सिंगरौली" शब्द के लिए, "डिंडौरी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[एफ. सं. 25/85/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना द्वारा तारीख 15 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3064 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी;

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July 2020

**S.O. 2436(E).—WHEREAS**, *vide* notification number 3064 (E), dated the 15th September, 2017 under sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, (hereafter in this notification referred to as the said notification) the Ministry of Environment, Forest and Climate Change declared Eco-sensitive Zone of the Ghughua Fossil National Park in the State of Madhya Pradesh;

**AND WHEREAS**, the Government of Madhya Pradesh *vide* its letter No. ESZ/37-III/4(9)/5064, dated the 18th July, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment;

**AND WHEREAS**, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Madhya Pradesh and ascertained that the request of the State Government is factually correct;

**NOW THEREFORE**, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment to the said notification namely: -

In the said notification, in paragraph 5, in sub-paragraph (1),

(i) in item (i), for the word "Rewa", the word "Jabalpur" shall be substituted;
(ii) in item (ii), for the word "Singrauli", the word "Dindori" shall be substituted;
(iii) in item (iii), for the word "Rewa", the word "Jabalpur" shall be substituted;
(iv) in item (iv), for the word "Rewa", the word "Jabalpur" shall be substituted;
(v) in item (v), for the word "Singrauli", the word "Dindori" shall be substituted;
(vi) in item (vii), for the word "Singrauli", the word "Dindori" shall be substituted;
(vii) in item (viii), for the word "Singrauli", the word "Dindori" shall be substituted;

[F. No. 25/85/2015-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.07.25 17:49:49 +05'30'